राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती ज्योति मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 567 / 2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

बजरंग पिता रामदयाल ब्राम्हण निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. मदन पिता रामदयाल ब्राम्हण निवासी रतनपुरा तह0 फूलियाकलां
2. रामकरण पिता रामदयाल ब्राम्हण निवासी रतनपुरा तह0 फूलियाकलां
3. सुरजकरण पिता बन्ना गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां
4. नाना पिता बन्ना गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां
5. खाना पिता बन्ना गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां
6. उदा पिता भूरा गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां
7. मेवा पिता भूरा गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **रतनपुरा पटवार मण्डल तसवारिया बांसा** तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 91 मे आराजी नम्बर 936 रकबा 0.36 है0, आ0न0 937 रकबा 0.30 है0, आ0न0 938 रकबा 0.06 है0, आ0न0 939 रकबा 0.22 है0, आ0न0 940 रकबा 0.03 है0, 941 रकबा 0.32 है0, आ0न0 968 रकबा 0.60 है0, आ0न0 969 रकबा 0.23 है0 आराजी कुल किता 09 रकबा 2.12 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखा गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **रतनपुरा** संवत 2073 से 2076 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रतनपुरा** मे स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 09 रकबा 2.12 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 800/- रूपये (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज **दिनांक 11.02.2017** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा